



राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं० 2 सैक्टर - 17
पंचकूला, हरियाणा - 134109

Website: www.secharyana.gov.in
Email id: sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

क्रमांक:- रा०नि०आ० / 1एम०ई० / 2022 / 1906-1926

दिनांक:-23.05.2022

सेवा में

सभी उपायुक्त (सिवाय फरीदाबाद)
हरियाणा राज्य ।

विषय:- नगर निकाय आम चुनाव, 2022 - मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपके जिले में निम्न नगरनिकायों के आम चुनाव दिनांक 19.06.2022 को होने निश्चित हुये है:-

क्र० सं०	जिले का नाम		नगरपालिका/नगरपरिषद का नाम
1.	अम्बाला	1.	नारायणगढ़, नगरपालिका
2.	भिवानी	2.	भिवानी, नगरपरिषद
3.	चरखी दादरी	3.	चरखी दादरी, नगरपरिषद
4.	फतेहाबाद	4.	भूना, नगरपालिका
		5.	रानिया, नगरपालिका
		6.	फतेहाबाद, नगरपरिषद
		7.	टोहाना नगरपरिषद
5.	गुरुग्राम	8.	सोहना, नगरपरिषद
6.	हिसार	9.	बरवाला, नगरपालिका
		10.	हांसी, नगरपरिषद
7.	जीन्द	11.	सफीदों, नगरपालिका
		12.	उचाना, नगरपालिका
		13.	नरवाना, नगरपरिषद
		14.	जीन्द, नगरपरिषद
8.	झज्जर	15.	झज्जर, नगरपरिषद
		16.	बहादुरगढ़, नगरपरिषद
9.	कुरुक्षेत्र	17.	इस्माईलाबाद, नगरपालिका
		18.	शाहबाद, नगरपालिका
		19.	पेहवा, नगरपालिका
		20.	लाडवा, नगरपालिका
10.	करनाल	21.	घरौंडा, नगरपालिका
		22.	तरावड़ी, नगरपालिका
		23.	निसिंग, नगरपालिका
		24.	असंध, नगरपालिका
11.	कैथल	25.	चीका, नगरपालिका
		26.	राजौन्द, नगरपालिका
		27.	कैथल, नगरपरिषद
12.	महेन्द्रगढ़	28.	महेन्द्रगढ़, नगरपालिका
		29.	नागल चौधरी, नगरपालिका
		30.	नारनौल, नगरपरिषद
13.	नूंह	31.	फिरोजपुर झिरका, नगरपालिका
		32.	पुन्हाना, नगरपालिका
		33.	नूंह, नगरपरिषद
14.	पंचकूला	34.	कालका, नगरपरिषद

15.	पानीपत	35.	समालखा, नगरपालिका
16.	पलवल	36.	पलवल, नगरपरिषद
		37.	होडल, नगरपरिषद
17.	रोहतक	38.	महम, नगरपालिका
18.	रेवाड़ी	39.	बावल, नगरपालिका
19.	सोनीपत	40.	गन्नौर, नगरपालिका
		41.	कुंडली, नगरपालिका
		42.	गोहाना, नगरपरिषद
20.	सिरसा	43.	ऐलनाबाद, नगरपालिका
		44.	रानिया, नगरपालिका
		45.	मंडी डबवाली, नगरपरिषद
21.	यमुनानगर	46.	साढौरा, नगरपालिका

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान हरियाणा नगर निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 34 (1) की ओर आकर्षित किया जाता है, इस नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। रिटर्निंग अधिकारी के प्रयोगार्थ जारी हैंड बुक में, मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे विस्तृत विधि दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को उप-चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की तुरन्त स्थापना करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाएं तथा स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों की सूची आपके माध्यम से भेजते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से इस बारे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। कृपया मतदान केन्द्र स्थापित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी की गई हिदायतों अनुसार पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 से ज्यादा न हो, यदि किसी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 से ज्यादा हो तो उस स्थान पर दो बूथ बना दिये जाये।

3. मुझे यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्र जहाँ तक सम्भव हो, केवल सरकारी भवनों में ही स्थापित किये जायें **[कोई भी मतदान केन्द्र किसी भी अस्पताल व जच्चा बच्चा केन्द्र (डिलीवरी सैन्टर) में या उसके आस पास स्थापित न किया जाये]**। यदि किसी कारणवश ऐसा किया जाना सम्भव न हो, और किसी प्राईवेट भवन/धर्मशाला में मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना आवश्यक हो, तो उस स्थिति में, उस प्राईवेट भवन/धर्मशाला के मालिक से इस बारे लिखित रूप में सहमति प्राप्त कर ली जाए और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार अथवा उसके रिश्तेदार का उस भवन या संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है।

भवदीय,

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृते राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा